20/11

9/11

9/11 [illegible] 22/1/18 [illegible]

22/1/18

30/1/18 आज यह पत्रावली वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त [illegible] आदेश दिनांक 30/11/15 के पृष्ठ सं 2 के पैरा से 5 में द्वितिय पंक्ति में सहवन तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ की जगह सादुलशहर लिखा गया है जिसे संशोधित किया जावे। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी न्याय हित में काबिल स्वीकार है अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 CPC स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय दिनांक 30/11/15 के पृष्ठ सं. 2 के पैरा सं. 5 में द्वितिय पंक्ति में तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर की जगह तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ पढ़ा जावे। इसी आशय का आदेश जारी हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

3

बअदालत :–उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

बईजलास :– राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 340/2013

1. मुखत्यार सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 36 एसएसडब्ल्यु तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बलविन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्द्र सिंह पुत्र मलसिंह जाति जटसिख निवासी चक 36 एसएसडब्ल्यु तहसील व जिला हनुमानगढ़। ——प्रार्थीगण

बनाम

1. मनजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 36 एसएसडब्ल्यु तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. दलजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 36 एसएसडब्ल्यु तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. जसविन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 36 एसएसडब्ल्यु तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. भजन कौर पत्नि महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 36 एसएसडब्ल्यु तहसील व जिला हनुमानगढ़। ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र सिंह संधु अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री भोपाल सिंह सोलंकी अधिवक्ता — अप्रार्थी सं. 2 ता 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए.

निर्णय — दिनांक :– 30/11/15

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्व यह प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. के तहत पेश किया कि प्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 36 एसएसडब्ल्यु खाता सं. 89/84 खाता रणजीत कौर आदि में 0.550 है0 भूमि जमाबंदी 2070–73 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि चक 36 एसएसडब्ल्यु खाता सं. 69/82 खाता बलविन्द्र सिंह में कुल 3.605 है0 जमाबंदी 2070–73 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि चक 36 एसएसडब्ल्यु खाता सं. 77/71 खाता भजन कौर आदि में 4.682 है0 भूमि जमाबंदी 2070–73 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है, जबकि प.न. 88/318 में कि.न. 5, 6, 15, 16 में 2–2 बिस्वा रास्ता मंजूरशुदा है। पंचायत ने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया व मुताबिक राजीनामा प.न. 88/319 के कि.न. 5 जो कि चक 36 एसएसडब्ल्यु के खाता सं. 77/71 खाता भजनकौर आदि जमाबंदी संवत 2070–73 में दर्ज राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम ब.हि.ब. दर्ज है मे प.न. 88/319 के कि.न. 5 के उत्तर– दक्षिण दिशा मे पूर्वी सींव के साथ 2 बिस्व रास्ता प्रार्थीगण को दिलवा कर मौके पर चालू करवा दिया है व रास्ते में आई भूमि के एवज में प्रार्थी सं. 1 ने चक नं. 36 एसएसडब्ल्यु में खाता सं. 89/84 जमाबदी संवत 2070–73 अपने हिस्से मे से 1 बिस्वा यानि 0.013 है0 भूमि अपने कब्जे काश्त की भूमि रास्ते के बदले में प्रार्थी सं. 1 अपने हिस्से मे से दी है तथा प्रार्थी सं. 2 ने खाता सं. 69/82 के प.न. 88/318 कि.न. 16 में 0.012 है0 अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को ब.हि.ब. दी है। उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने क अधिकारी है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है व सबसे नजदीक रास्ता यही है जो प्रार्थीगण मंजूर करवाना चाहते है तथा मौका पर रास्ता चालू है।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्जा है कि चक 36 एसएसडब्ल्यु खाता सं. 77/71 खाता भजन कौर आदि मे प.न. 88/319 कि.न. 5 में 0.228 है0 में 0.025 है0 गैर मुमकिन रास्ता उत्तर से दक्षिण पूर्वी सींव के साथ दर्ज करने के आदेश दिये जावें व चक 36 एसएसडब्ल्यु खाता सं. 89/84 खाता रणजीत सिंह आदि में प्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज 0.550 है0 मे से 0.013 है0 कम कर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम 0.013 है0 व प्रार्थी सं. 1 के नाम 0.537 है0 दर्ज किया जावें व चक 36 एसएसडब्ल्यु खाता सं. 69/82 खाता बलविन्द्र सिंह में प.न. 88/18 के कि.न. 16 मे से 0.012 है0 अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज किया जावें तथा बलविन्द्र सिंह के नाम 3.605 है0 भूमि मे से 0.012 है0 कम कर 3.593 है0 दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 बाद तामिल उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 18.07.14 को अप्रार्थी सं. 2ता4 की ओर से स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 पेश की जाकर दिनांक 17.06.14 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नही किये जाने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 स्वीकार की गई। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर हुई।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण सं. 2ता4 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उजर व एजराज नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 36 एसएसडब्ल्यु खाता सं. 77/71 खाता भजन कौर आदि मे प.न. 88/319 कि.न. 5 में 0.228 है0 में 0.025 है0 गैर मुमकिन रास्ता उत्तर से दक्षिण पूर्वी सींव के साथ दर्ज करने के आदेश दिये जाते है व चक 36 एसएसडब्ल्यु खाता सं. 89/84 खाता रणजीत सिंह आदि में प्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज 0.550 है0 मे से 0.013 है0 कम कर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम 0.013 है0 व प्रार्थी सं. 1 के नाम 0.537 है0 दर्ज किया जाता है व चक 36 एसएसडब्ल्यु खाता सं. 69/82 खाता बलविन्द्र सिंह में प.न. 88/18 के कि.न. 16 मे से 0.012 है0 अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज किया जाता है तथा बलविन्द्र सिंह के नाम 3.605 है0 भूमि मे से 0.012 है0 कम कर 3.593 है0 दर्ज किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30/11/2015 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राकेश कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner